बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं0–9/सै0 6 मेला स्वी0–01/16–..................................(9)/रा0, पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
पटना।

विषयः– **राज्य के प्रमुख श्रावणी मेला, पितृपक्ष मेला एवं अन्नत चतुदर्शी मेला के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में उपबंधित राशि में से रूपये 1,55,00,000/– (एक करोड़ पचपन लाख) मात्र राशि की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य के प्रमुख श्रावणी मेला, पितृपक्ष मेला एवं अन्नत चतुदर्शी मेला के आयोजन एवं व्यवस्था हेतु निम्नांकित जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि की निकासी की स्वीकृति दी जाती है:–

क्र0	मेला/ जिला का नाम	स्वीकृत राशि	समाहर्त्ता के पत्रांक/दिनांक
1	2	3	4
1	वाणावर श्रावणी मेला एवं अन्नत चतुदर्शी मेला जहानाबाद, 2016 एवं वर्ष 2015–16 की बकाया राशि रू0 15.00 (पन्द्रह लाख) सहित।	33.00 (तैतीस लाख)	पत्रांक–1107/रा0, दिनांक–09.07.2016
2	श्रावणी मेला, भागलपुर, 2016 अतिरिक्त राशि	25.00 (पचीस लाख)	पत्रांक–1949/रा0, दिनांक–17.06.2016
3	श्रावणी मेला, पूर्वी चम्पारण, 2016 अतिरिक्त राशि	10.00 (दस लाख)	पत्रांक–558/रा0, दिनांक–20.06.2016
4	पितृपक्ष मेला, गया, 2016	80.00 (अस्सी लाख)	पत्रांक–2015/रा0, दिनांक–02.07.2016
5	श्रावणी मेला, हाजीपुर (वैशाली), 2016	3.00 (तीन लाख)	पत्रांक–1213, दिनांक–01.07.2016
6	श्रावणी मेला, पहलेजाघाट, सोनपुर, सारण, 2016	4.00 (चार लाख)	पत्रांक–39, दिनांक–06.07.2016
	कुल	**1.55 (एक करोड़ पचपन लाख)**	

D:\P.k-Rev\sec-9\MELA-19-05-2016.doc

2. राशि की निकासी शीर्ष–2029–भू–राजस्व–104–सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध–0002–हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण–2701 लघु कार्य माँग सं0–40 विपत्र कोड– एन0–2029001040002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2016–17 में की जायेगी।

3. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के समाहर्त्ता होंगें ।

4. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 (वी0)(2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में किया जायेगा।

5. इस राशि की निकासी आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात की जायगी।

6 समाहर्त्ता को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत राशि का व्यय संबंधित अपर समाहर्त्ता/संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा कराया जाय।

7. इस स्वीकृत राशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अंदर निश्चित रूप से सरकार को उपलब्ध करायेंगे अन्यथा किसी भी स्थिति में अगले वर्ष में इस मद में राशि विमुक्त करने पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। डी0सी0 विपत्र के मामले में इसका समायोजन नियत समय सीमा के अंदर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 541– /रा0 (9), पटना–15, दिनांक– 03/8/16

फैक्स/
ई–मेल

प्रतिलिपिः– प्रमण्डलीय आयुक्त, मंगध प्रमण्डल गया, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर एवं सारण प्रमंडल, सारण/ समाहर्त्ता, जहानाबाद, भागलपुर, पूर्वी चम्पारण, गया, वैशाली एवं सारण/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/विभागीय प्रशाखा–5 (बजट शाखा) /माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/8
(व्यास जी),
प्रधान सचिव।

D:\Pk-Rev\sec-9\MELA-19-05-2016.doc